भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1742

दिनांक 02 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

ई-पंचायतें

†1742. डॉ आलोक कुमार सुमन:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने पंचायतों के कार्यकरण को बदलने के लिए देश में ई-पंचायत सुविधा कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां; तो बिहार की सभी पंचायतों में ई-सुविधा प्रदान करने में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है?

(ग) बिहार में उन पंचायतों की संख्या कितनी है, जिनका डिजीटलीकरण किया गया है और उन पंचायतों की संख्या कितनी है, जिनका डिजीटलीकरण अभी किया जाना है; ओर

(घ) देश की सभी पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ) 'पंचायत' राज्य का विषय है और पंचायतों के कामकाज को राज्यों / संघ शासित प्रदेशों (केंद्रशासित प्रदेश) के संबंधित पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से संरचित किया जाता है। कंप्यूटर आदि सहित आधारभूत संरचना प्रदान करना संबंधित राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। हालाँकि, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में पंचायती राज मंत्रालय राज्यों को सहायता प्रदान करता है, ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण राज्यों द्वारा किया जा रहा है और ग्राम

पंचायतों को दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा भारतनेट परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा, सरकार के ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत, नियोजन,

बजटन, कार्यान्वयन, लेखा, निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा और लाइसेंस, प्रमाणपत्र आदि जारी करने जैसी नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कोर कॉमन एप्लीकेशन का एक सूइट विकसित किया गया है, जिससे पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन में सुधार होता है। इन एप्लीकेशनस की सूची **अनुबंध** में उपलब्ध है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिहार में,4200 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर हैं और 6,712 ग्राम पंचायतों को भारतनेट के तहत ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

*****

अनुबंध

दिनांक 02-07-2019 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं 1742 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

ई-पंचायत के तहत साफ्टवेयर एप्लीकेशनस की सूची

क्रम सं.	एप्लीकेशन	विवरण
1	**प्रियासॉफ्ट**	यह एक वेब आधारित एप्लिकेशन है जो वाउचर प्रविष्टियों के माध्यम से रसीद और व्यय विवरणों को दर्ज करता है और स्वचालित रूप से कैश बुक, रजिस्टर, उपयोग प्रमाणपत्र आदि सृजित करता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पंचायतों द्वारा चार बाउचरों को दर्ज (रसीद / भुगतान / कॉन्ट्रा / जर्नल) करना इसकी एकमात्र आवश्यकता है जो स्वचालित रूप से सभी संबद्धित विवरण और रिपोर्ट सृजित करेगा। प्रियासॉफ्ट दोहरी प्रविष्टि, लेखांकन के नकद आधार का अनुसरण करता है और यह कैग द्वारा अनुशंसित चार स्तरीय सरलीकृत मॉडल लेखा प्रारूप पर आधारित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाएं प्रियासॉफ्ट में उपलब्ध हैं, जिन्हें खाता शीर्षों के साथ मैप किया जाता है।
2	**प्लानप्लस**	प्लानप्लस सहभागी विकेंद्रीकृत योजना को मजबूत करने में सुविधा प्रदान करता है और जिले के साथ-साथ क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार करने में सक्षम बनाता है। यह उचित विकास इकाई के लिए नागरिकों / योजना इकाइयों को अपने विकास की जरूरतों को भी प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। इस एप्लिकेशन को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के विभिन्न घटकों को समाहित करने के लिए संशोधित किया गया है।
3	**नेशनल पंचायत पोर्टल**	सार्वजनिक क्षेत्र में जानकारी साझा करने के लिए प्रत्येक पंचायत (अर्थात् जिला पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और ग्राम पंचायतों) के लिए डायनामिक वेब साइट। एनपीपी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई सूचना और सेवाओं तक सहज पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। एनपीपी राज्य पंचायती राज विभागों के लिए

क्रम सं.	एप्लीकेशन	विवरण
		डायनामिक वेबसाइट बनाता है और प्रत्येक पंचायत अपनी पसंद के यूआरएल का उपयोग करके अपनी वेबसाइट तक पहुँच बना सकती है।
4	**स्थानीय सरकारी निर्देशिका (एलजीडी)**	स्थानीय सरकारों के सभी विवरणों को दर्ज करता है और यूनीक कोड प्रदान करता है। विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के साथ पंचायतों को मैप करता है। यह सभी ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के बीच अंतःसंचालन को सक्षम बनाता है।
5	**एक्शनसॉफ्ट**	इसका उद्देश्य प्लॉन प्लस में उपलब्ध विभिन्न यूएलबी, आरएलबी और संबंधित विभागों की अंतिम रूप से स्वीकृत योजनाओं (कार्य योजना) के भाग के रूप में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की निगरानी करना और रिकॉर्ड रखना है। यह कार्यों की वित्तीय और वास्तविक प्रगति की उचित रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत किए गए कार्यों की स्थिति और किए गए खर्च की निगरानी के लिए एक माध्यम/ टूल के रूप में कार्य करता है।
6	**राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्देशिका (एनएडी)**	बनाई गई / अनुरक्षित की गई संपत्तियों का विवरण दर्ज करता है; कार्यों के दोहराव से बचने में मदद करता है और रखरखाव के लिए प्रावधान करता है। एनएडी में पंचायतों की भौगोलिक सीमाओं के भीतर मौजूद चल और अचल संपत्ति (यानी सार्वजनिक और निजी दोनों जैसे कि प्रमुख स्कूल, बैंक और अस्पताल) का विस्तृत विवरण शामिल है। यह पंचायतों द्वारा बनाई गई / अनुरक्षित / उनके नियंत्रणाधीन परिसंपत्तियों की पहचान के लिए यूनीक संपत्ति आईडी भी जारी करता है।
7	**एरिया प्रोफाइलर**	किसी गाँव / पंचायत की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, अवसंरचनात्मक, सामाजिक-आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों को दर्ज करता है। सभी क्षेत्रीय कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए यूनिवर्सल डेटाबेस है और निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों, चुनाव ब्यौरों आदि का विवरण प्रदान करता है। एरियाप्रोफाइलर एक केंद्रीकृत डेटाबेस है जो पंचायतों के विभिन्न विवरण जैसे निकटतम स्थानीय निकायों, पर्यटन स्थलों और ठहरने की सुविधा आदि उपलब्ध कराता है।

क्रम सं.	एप्लीकेशन	विवरण
8	**सर्विसप्लस**	सभी राज्यों में सभी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान करने में मदद करने के लिए एक डायनामिक मेटाडेटा-आधारित सेवा प्रदायगी पोर्टल। किसी भी शिकायत निवारण आवेदन की क्रियाशीलता को भी इस एप्लिकेशन में शामिल किया गया है। सर्विसप्लस सरकार और नागरिकों दोनों को लाभ प्रदान करता है: सरकार को लाभ - सेवा प्रदायगी से जुड़े सभी नियमों का विन्यास करने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार परिभाषित नियमों के अनुसार सेवाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करता है। - नागरिकों को सूचनात्मक और लेनदेन संबंधी दोनों ही सेवाओं की त्वरित, कुशल और पारदर्शी प्रदायगी और आवेदन प्रसंस्करण की कुशल निगरानी प्रदान करता है। - भूमिका के संदर्भ में प्रत्येक सेवा और कियोस्क नीति के लिए कार्य दिशा को परिभाषित करता है। - कार्य दिशा को संरेखित करता है, सरकारी विभागों के कार्यभार को कम करता है और सेवा प्रदायगी में दक्षता में सुधार करता है नागरिकों को लाभ - नागरिकों को एक एकीकृत एकल, यूनीफाइड पोर्टल प्रदान करता है (एकल-विंडो) - एक ही विंडो पर देश भर में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए अपनी हकदारी के संबंध में पूछताछ के लिए नागरिकों को सुविधा प्रदान करता है। - वे सेवाएं प्रदान करता है जो वास्तविक सेवा प्रदायगी प्रक्रियाओं / नियमों के साथ पूरी तरह से संरेखित होती हैं और इस प्रकार प्रमाण पत्र की सत्यता / वैधता सुनिश्चित करता है। - आवेदक की आवश्यकता के आधार पर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए वर्कफ़्लो का डायनामिक विन्यास किया जा सकता है। - केवल एक बार नागरिकों से सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को दर्ज करता है और इस प्रकार नागरिकों को सुविधा प्रदान करता है।

क्रम सं.	एप्लीकेशन	विवरण
9	**सोशल ऑडिट**	सोशल ऑडिट एप्लिकेशन का उद्देश्य पंचायत द्वारा की गई विभिन्न योजनाओं के तहत काम को समझना, मापना और सत्यापित करना और संबंधित पंचायतों के सामाजिक कार्य निष्पादन में सुधार करना है। सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया में सामाजिक लेखा परीक्षक और सामाजिक लेखा सुविधाप्रदाता द्वारा विभिन्न योजनाओं के लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। एप्लीकेशन सामाजिक लेखा परीक्षक को मांगी गई जानकारी प्रदान करके सामाजिक ऑडिट प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और पंचायत / स्थानीय निकाय द्वारा की गई कार्रवाई को दर्ज करता है।
10	**प्रशिक्षण प्रबंधन**	नागरिकों सहित हितधारकों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं, उनकी प्रतिक्रियाओं, प्रशिक्षण सामग्री आदि के लिए पोर्टल। यह सरकारी अधिकारियों और राज्य में चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए एक एकल मंच है जिस पर वे आवश्यकताओं को संबोधित और प्रबंधित करने के लिए सरकार सहित उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं और प्रशिक्षण संगठनों को लॉग इन कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रतिभागियों का एक डेटाबेस भी रखता है (जैसे कि निर्वाचित प्रतिनिधि / विभाग के अधिकारी)। प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया दर्ज करने का प्रावधान है, जिससे उन्हें आगे के विश्लेषण में उपयोग किया जा सके।
11	**भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस)**	जीआईएस मानचित्र पर सभी एप्लिकेशन द्वारा सृजित सभी डेटा को देखने के लिए एक स्थानिक परत।